

एक,

श्री एस0 आर0 लाखा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ: दिनांक- 16 अक्टूबर, 2001

विषय : सूडा द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई राशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि सूडा द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आपके कुशल नेतृत्व में जिला नगरीय विकास अधिकरण द्वारा किया जा रहा है। आशा है कि योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि की अधिकतम राशि डूडा द्वारा व्यय कर ली गई होगी।

2. डूडा द्वारा संचालित निम्न योजनाओं के संबंध में यह सूचना अपेक्षित है कि प्रश्नगत योजना हेतु प्राप्त धनराशि, व्यय की गई धनराशि, व्यय के सापेक्ष भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि एवं भेजने हेतु अवशेष उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि क्या है :-

- (1) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
 - (क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम
 - (ख) नगरीय मजदूरी योजना
- (2) राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम
- (3) स्वच्छकार विमुक्ति योजना
- (4) बालिका समृद्धि योजना

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विवरण देते हुए डूडा स्तर पर अब तक व्यय की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल सूडा एवं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजते हुये अधिकाधिक केन्द्रों प्राप्त किया जा सके। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया गया है।

4- कृपया इस संबंध में आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं व्यय धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस. आर. लाखा)

सचिव ।

संख्या- 4166/69-1-2001-01 (एस. डी.)/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
2. समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, 30 प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।

आज्ञा से,
श्याम लाल तिवारी
संयुक्त सचिव ।